>

Title: Need to enhance pension under EPS-1995.

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): श्रम सम्बंधित संसदीय समिति की मार्च 2018 की रिपोर्ट और EPFO से सम्बंधित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि EPS 95 पेंशन के योजना के अन्तर्गत पेंशनरों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाना चाहिए । इन समितियों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने भी अप्रैल 2019 में अपने एक निर्णय में आदेश दिया है की EPS 95 में दी जाने वाली राशि बहुत कम है ।मेरा सरकार से निवेदन है कि EPS 95 के अंतर्गत आने वाले 67 लाख पेंशन धारकों की मांग पर सरकार कार्यवाई करे और कोशियारी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार करके EPS 95 पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को बेसिक पेंशन के रूप में न्यूनतम 9000 रूपये प्रति महीना और महंगाई भत्ता अथवा नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करे जिससे उन्हें लाभ मिले और उनकी जीवन भर की मेहनत की कमाई का नुकसान ना हो अथवा सेवानिवृत होने के बाद उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक असुविधा का सामना ना करना पड़े ।